



प्रेस नोट

थाना – पिलखुवा

दिनांक 19.11.2022

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 05 आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 1,01,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते थाने के मु0अ0सं0 106/2020 धारा 304,147,148,323,325,427 ,504,279,506 भादवि में 05 आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 1,01,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पता:-

साबिर पुत्र रहीस निवासी सिखेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
शाहिद पुत्र रहीस निवासी सिखेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
सलीम पुत्र ननवा निवासी सिखेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
रहीस पुत्र ननवा निवासी सिखेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
तसलीम पुत्र ननवा निवासी सिखेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।